20.05.2025—पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थीया जरिये अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत प्रार्थना पत्र 88 आर.टी.ए. मे चक नम्बर 26 एन.डी.आर. के खाता सख्या 35/17 व चक नम्बर 30 एन. डी.आर. के खाता सख्या 25/58, चक नम्बर 8 एम.डब्ल्यू.एम के खाता सख्या 8/8 चक नम्बर 1 सी. खाता सख्या 8/6 मे प्रार्थीया का नाम रेशमी उर्फ लीलावती पत्नी मनफूलराम दर्ज रिकॉड है जबकि प्रार्थीया का सही नाम लीला पत्नी मनफूलराम है तथा इसी अनुसार रिकॉड मे नाम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया गया। साक्ष्य के तौर पर पहचान पत्र, आधार कार्ड राशन कार्ड, आदि दस्तावेजात पेश किये गए है।

वादपत्र दर्ज कर तहसीलदार हनुमानगढ से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसील के पत्र कमाक एल.आर. /2025/863 दिनांक 24.03.2025 द्वारा अवगत करवाया कि प्रार्थीया का नाम सही नाम लीला पत्नी मनफूलराम ही है। अन्य नाम जो जमाबंदी मे दर्ज है के नाम से नही जानते है। तस्दीक ग्रम पंचायत चोहिलावाली दिनांक 10.03.2025 द्वारा अकित किया गया है कि प्रार्थीया का नाम लीलावती उर्फ रेशमी उर्फ लीला ही है उक्त एक महिला को तीनो नामों से जाना जाता है प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। न्यायाहित मे वादपत्र स्वीकार कर तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि चक नम्बर 26 एन.डी.आर. के खाता सख्या 35/17 व चक नम्बर 30 एन.डी.आर. के खाता सख्या 25/58, चक नम्बर 8 एम. डब्ल्यू.एम के खाता सख्या 8/8 चक नम्बर 1 सी. खाता सख्या 8/6 मे रेशमी उर्फ लीलावती पत्नी मनफूलराम की जगह लीला पत्नी मनफूलराम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जाकर नाम दुरूस्त की किया जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर की जाती है

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.05.31 14:49:09 IST
Reason: SelfAttested